/

31.1.18 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित।
बहस सुनी गई। अपील अपीलांट अस्वीकार
की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर
खुले न्यायालय मैं सुनाया गया, जो शामिल
पत्रावली किया गया। निर्णय प्रति के साथ
अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड लौटाया
जावे। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः– श्री यशवन्त भाकर आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 143/2016

2016/00259

मांगीदेवी पत्नी पुरखाराम जाति जाट निवासी सोनियासर गोदारान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़

रेस्पोडेन्ट

::अपील अर्न्तगत धारा 75 भू०राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– श्री नरसाराम जाखड़ – अभिभाषक अपीलार्थी

2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 31.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 15.12.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमित घोषित कर शास्ति कायम की गई है, के विरूद्ध प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2016 निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावे।

2. रेस्पोडेन्ट व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि रोही मौजा बापेऊ के खसरा नम्बर 807, 808, 809 कुल किता 3 तादादी 3.06 हैक्टेयर अपीलान्ट के खातेदारी भूमि है। खेत के खसरा नम्बर 809 रकबा 2.61 हैक्टयर से दक्षिण की ओर खसरा नम्बर 804 रकबा 1.98 हैक्टेयर गैर मुमकीन तलाई है। जिसका पानी सार्वजनिक रूप से उपयोग में लिया जाता है। अपीलान्ट द्वारा इस भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नहीं किया गया किन्तु अदालत मातहत ने बिना किसी जांच के मनमाने तौर से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 8.12.2016 को पत्रावली स्थानान्तरण करने के लिए जिला कलक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर महोदय ने प्रकरण में टिप्पणी मंगवाई जिसे दरकिनार करते हुवे जानबूझकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो किसी भी स्थिति में कायम रखा नहीं जा सकता। अदालत मातहत द्वारा आदेश पूर्णतयाः विधि विरूद्ध राठौडी तरीके से पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का बापेऊ द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अपीलान्टान द्वारा आराजी खसरा नम्बर 804 तादादी 1.98 हैक्टयर किस्म गैर मुमकीन तलाई मे से 0.70 हैक्टयर भूमि पर संवत 2073 में नाजायज तार पट्टी करके अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अतः इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। प्राप्त रिपोर्ट पर विधिवत् नोटिस जारी कर अपीलान्टान को सुना गया तथा समझाईस की गई कि उसके द्वारा गैर मुमकीन तलाई पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, उसे तत्काल हटाया जावे। इसके बावजूद अतिक्रमी द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया तब उसे अतिक्रमी घोषित कर बेदखली व शास्ति का आदेश पारित करते हुवे पटवारी हल्का को भौतिक रूप से आराजी भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये। माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेश न्यायिक प्रक्रिया के अधीन अपीलान्टा को सुनकर व साक्ष्य सबूत का अवसर देकर पारित किये गये है। अतः अपील अपीलान्टा खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश कायम रखा जावे।

6. हमने उभय पक्ष को सुना व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा इस संबंध में विधिक प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया। अपीलान्टा के विद्धान अभिभाषक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 804 के 1.98 हैक्टयर भूमि गैर मुमकीन तलाई पर अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है ना ही इस संबंध में अपीलान्टा की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश हुआ है। इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टा के विरूद्ध पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। तदनुसार अपील अपीलान्टा स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्टा खारिज करते हुवे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(यशवन्त भाकर)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner